आदेश पत्रक

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :बरेली,जनपद :शाहजहापुर,तहसील :पुवायाँ
वाद सख्या :-04062/2018
कंप्यूटरीकृत वाद सख्या :-T201812610204062
सरदार वचन सिंह एजुकेशनल सोसाइटी प्रबन्धक सुलक्खन सिंह बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

न्यायालय असिस्टेंट कलेक्टर पुवायाँ शाहजहाँपुर

वाद सं0

अन्तर्गत धारा 80 राजस्व संहिता वर्ष 2006
ग्राम— बण्डा
परगना व तहसील पुवायाँ

सरदार वचन सिह एजूकेशनल सोसाइटी प्रबन्धक सुलक्खन सिंह बनाम सरकार

नकल निर्णय

प्रस्तुत वाद प्रबन्धक सुलक्खन सिंह पुत्र जोगा सिह निवासी रनमस्तपुर बुजुर्ग तहसील पुवायाँ जिला शाहजहाँपुर ने धारा 80 राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया है कि ग्राम बण्डा स्थित भूमि गाटा सं0 850/0.930 हे0 मे से 0.525 हे0 को अकृषक एवं लगान मुक्त घोषित किये जाने की याचना की गयी है नियमानुसार वाद दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार पुवायाँ से जॉच आख्या मंगाई गयी।

तहसीलदार पुवायाँ ने अपनी जॉच आख्या दिनॉक–24.07.2018 में उल्लेख किया गया है कि ग्राम बण्डा स्थित भूमि गाटा सं0 850 रकबा 0.930 हे0 में से 0.525 हे0 पर स्कूल परिसर की वाउन्ड्री के अन्दर प्रार्थना स्थल/खेल का मैदान हेतु खाली है। भूमि पर कृषि कार्य नही हो रहा है। स्कूल का प्रार्थना स्थल, खेल परिसर के रूप में प्रयोग हो रहा है। जिसे राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के प्राविधानों के अन्तर्गत वादग्रस्त भूमि को अकृषक एवं लगान मुक्त घोषित किया जाने के सम्बन्ध में आख्या प्रस्तुत की गयी है।

मैनें पत्रावली पर रक्षित ग्राहय साक्ष्यों का अवलोकन किया एवं तहसीलदार पुवायाँ की आख्या दिनॉक–24.07.2018 का परिशीलन किया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम बण्डा स्थित भूमि गाटा सं0 850 रकबा 0.930 हे0 में से 0.525 हे0 पर स्कूल परिसर की वाउन्ड्री के अन्दर प्रार्थना स्थल/खेल का मैदान हेतु खाली है। भूमि पर कृषि कार्य नही हो रहा है। स्कूल का प्रार्थना स्थल, खेल परिसर के रूप में प्रयोग हो रहा है तथा मौके पर कृषि कार्य नही हो रहा है। इस कारण भूमि को राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के प्राविधानों के अन्तर्गत वादग्रस्त भूमि को अकृषक एवं लगान मुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार पुवायाँ की आख्या दिनॉक–24.07.2018 के आधार पर निम्न आदेश दिया जाता है:–

आदेश

अतः न्यायहित में ग्राम बण्डा स्थित भूमि गाटा सं0 850 रकबा 0.930 हे0 में से 0.525 हे0 को धारा 80 राजस्व संहिता 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत अकृष्क एवं लगान मुक्त घोषित किया जाता है। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार पुवायाँ को भू अभिलेखों में अमल दरामद हेतु प्रेषित की जाये तथा एक प्रति सव रजिस्ट्रार पुवायाँ को पंजीकरण हेतु प्रेषित की जाये। वाद आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनॉक– 13-08-2018

असिस्टेंट कलेक्टर
पुवायाँ शाहजहाँपुर

सत्य प्रतिलिपि
प्रमाणित
18-8-18

जारी करने वाले के हस्ताक्षर
प्रमाक दिनांक 16.8.18
प्रार्थी श्री रतन सिंह 2326
तैयारी का दि0 18-8-18
टिकट सं0/50/ 10.00 रु0 (पचास रु0)
जारी का दि0 18.8.18